न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 82/2018 (223 आरटीए) रामनिवास वगै. बनाम घेवरराम वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2018/00235)

1 रामनिवास पुत्र श्री अन्नाराम,
2 रामचंद्र पुत्र श्री अन्नाराम,
3 बालाराम पुत्र श्री अन्नाराम,
4 जीवणराम पुत्र श्री अन्नाराम,
5 बीरमाराम पुत्र श्री अन्नाराम
जाति जाट निवासी रलियों की ढाणी तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।

..... अपीलांटस्

बनाम

1 घेवरराम पुत्र हीराराम,
2 रूपाराम पुत्र हीराराम
जाति माली निवासी बोबाड़ियो की ढाणी तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।
3 तहसीलदार भोपालगढ़ जिला जोधपुर।

..... रेस्सपोडेंटस्

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ दिनांक 26.06.2018 अंतर्गत राजस्व वाद सं. 3/2011

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री चेतनराम जाखड़।
2 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार।
3 रेस्पो. सं. 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 20.09.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ के राजस्व वाद सं. 3/2011 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ के समक्ष धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेंट्स की ओर से राजस्व वाद सं. 3/2011 पेश कर कथन किया कि ग्राम भोपालगढ़ की सरहद में खसरा नं. 1428 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय आई हुई है। यह भूमि घेवरराम, रूपाराम, राजूराम, बक्ताराम पि. हीराराम की खातेदारी की थी। लेकिन चारों भाई अलग–अलग रहते थे तथा अपने

2019
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हिस्से अनुसार अलग काश्त करते थे जिसके अनुसार खसरा नं. 1428 के बिलाड़ा से भोपालगढ़ जाने वाली सड़क के पास का हिस्सा राजूराम, बक्ताराम के कब्जे काश्त में था। राजूराम बक्ताराम ने अपना हिस्सा 1995 में अपीलांट्स को बेचान कर दिया एवं कब्जा सौंप दिया। रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर नामांतरकरण स्वीकार किया जाकर राजूराम, बक्ताराम के स्थान पर अपीलांट्स को 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया। खरीद के समय से अपीलांट्स इस भूमि के सड़क के पास वाले 1/2 हिस्से पर काबिज चले आ रहे हैं। दिनांक 28.12.1999 को रेस्पोडेंट्स ने उक्त वाद धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर ने अपने निर्णय दिनांक 10.07.2006 के द्वारा वादीगण का दावा डिक्री कर दिया तथा सड़क से सटते हुए दो भागों में बंटवाड़ा का आदेश दे दिया। अपीलांट्स ने सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2006 के विरुद्ध उन्हीं के समक्ष पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर ने अपने निर्णय दिनांक 21.05.2007 के द्वारा अपीलांट्स प्रतिवादीगण का पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2006 में विशिष्ट भू–भाग बंट में रखने के आदेश को अपास्त कर दिया तथा विवादग्रस्त भूमि में पक्षकारान को माप एवं सीमांकन के आधार पर तथा उनके द्वारा सुधार कार्य एवं रास्ते की सुविधा को मध्य नजर रखते हुए तथा पुराने कब्जे को दृष्टिगत रखते हुए बंटवाड़े के प्रस्ताव के लिए तहसीलदार भोपालगढ़ को आदेशित किया। रेस्पोडेंट वादीगण ने सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर के निर्णय दिनांक 21.05.2007 के विरुद्ध न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के समक्ष अपील पेश की जो अपील न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर जैसलमेर मु. जोधपुर द्वारा निर्णय दिनांक 27.06.2011 द्वारा स्वीकार की जाकर सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 21.05.2007 को निरस्त कर दिया तथा प्रकरण सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी को दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर नियम 18 से 21 की पालना करते हुए निर्णय पारित करने के लिए रिमाण्ड कर दिया। रिमाण्ड के वाद प्रकरण को सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी न्यायालय भोपालगढ़ में स्थापित हो जाने से प्रकरण पक्षकारों की साक्ष्य के लिए चल रहा था कि दिनांक 26.06.2018 को बिना अपीलांट्स या उनके अधिवक्ता को सूचित किए पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैंप भोपालगढ़ में रखी जाकर दिनांक 26.06.2018 को वादीगण का दावा डिक्री कर दिया तथा पत्रावली को फैसल शुमार कर दिया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2018 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया।

4/2019
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री चेतनराम जाखड़ ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि विद्वान सहायक कलेक्टर द्वारा सन् 2011 से नियमित सुनवाई में चल रहे विवादित प्रकरण को बिना पक्षकारों को नोटिस दिए राजस्व लोक अदालत कैंप में रखकर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय करने में विधिक त्रुटि की गई है लोक अदालतों में प्रकरणों का निस्तारण केवल पक्षकारों की सहमति हाने पर ही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण की अपील में दिए गए निर्देशों की पालना किए बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करने मे न केवल आदेश की अवहेलना की गई है बल्कि अनुशासन हीनता बरती गई है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण 1999 से चल रहा है। इस प्रकरण को बिना पक्षकारों की सहमति के कैंप कोर्ट में रखकर बिना सुनवाई का अवसर दिए निर्णय करने में गंभीर त्रुटि की गई है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे व जबाब दावे के आधार पर चार तनकीयात कायम की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में उन तनकीयात का उल्लेख तक नहीं दिया गया है तथा न ही पक्षकारों की साक्ष्य उल्लेख किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय आदेश 20 नियम 5 सी.पी.सी. के अनुसार नहीं होने से विधिक निर्णय नहीं कहा जा सकता। उपरोक्तानुसार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.06.2018 को निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अपील न्यायालय के अपील सं. 1/09 में पारित निर्णय दिनांक 27.06.2011 में दिए गए निर्देशों के अनुसार पक्षकारों को सुनवाई का असवर देकर प्रकरण का निस्तारण करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने का निवदेन किया गया।

5 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार ने बहस में कथन किया कि वादीगण के भाई राजूराम, बक्ताराम, पि. हीराराम ने करीब चार साल पहले रजिस्ट्री बेचान से अपना हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 से 5 से कुछ रुपए लेक अलग–अलग बेचान कर दिया तथा बेचान अनुसार प्रतिवादी सं. 1 से 5 का राजस्व रिकार्ड में जरिए म्यूटेशन इन्द्राज हो गया। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण सामलाती रूप से सहूलियत अनुसार काश्त करते रहते रहते हैं एवं वर्तमान में करते आ रहे हैं। इस आराजी का वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच कोई विधिवत एवं कानून अनुसार बंटवारा आज दिन तक नहीं हुआ है। पक्षकारान सामलाती रूप से काश्त करते आए हैं। संयुक्त खातेदारी का विधिवत बंटवारा नहीं होने से शामलाती काश्त में प्रतिवादीगण द्वारा अड़चनें पैदा करने से बंटवारे का वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। प्रकरण दर्ज किया गया। वकील प्रतिवादी द्वारा इस प्रकरण में आदेश 39 नियम 7 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र पेश

2019
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किया जिसे स्वीकार कर भू–अभिलेख निरीक्षक को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया। दिनांक 30.08.2001 को मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल फाइल की गई। प्रतिवादीगण को जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया। प्रतिवादीगण की ओर से कोस्ट पर अवसर दिए गए व कई अंतिम अवसर दिए गए उसके बाद लगभग 4 वर्ष बाद जवाब दावा पेश किया। प्रकरण में उसके पश्चात चार तनकीयात कायम की गई। दिनांक 17.10.2005 से पत्रावली साक्ष्य वादी में चली। वादी की ओर साक्ष्य कराई जाकर दिनांक 13.12.2005 को साक्ष्य वादी बंद करने के बाद पत्रावली दिनांक 27.12.2005 से साक्ष्य प्रतिवादी में चली। प्रतिवादी की ओर से कई अवसर दिए जाने के बावजूद साक्ष्य पेश नहीं करने पर 100 रु. की कोस्ट पर अवसर दिया गया। उसके बावजूद साक्ष्य पेश नहीं करने पर पुनः 200 रु. की कोस्ट पर अवसर दिया गया। उसके बावजूद प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई साक्ष्य पेश नहीं करने व बार–बार अवसर दिए जाने के बाद व कोस्ट पर अवसर दिए जाने के बावजूद साक्ष्य पेश नहीं करने पर वादी के अधिवक्ता ने ऐतराज किया व दिनांक 08.06.2006 को प्रतिवादीगण की साक्ष्य बंद की गई। उसके बाद पत्रावली बहस में रखी गई व दिनांक 26.06.2006 को उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस अधीनस्थ न्यायालय ने सुनी व पत्रावली को वास्ते आदेश दिनांक 10.07.2006 को रखा। दिनांक 10.07.2006 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री किया गया। उसके पश्चात प्रकरण में दिनांक 11.08.2006 को वकील प्रतिवादी की ओर से आदेश 47 सी.पी.सी. व धारा 151 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसका जबाब वादी की ओर से पेश हुआ तथा प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षकारान की बहस सुनी जाकर दिनांक 21.05.2007 को स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि में विशिष्ट भू–भाग को उनके बंट में रखे जाने से संबंधित आदेश को अपास्त किया गया। तदनुसार वादग्रस्त भूमि में पक्षकारान को माप एवं सीमांकन के आधार पर उनके द्वारा किए गए सुधार कार्य एवं रास्ते की सुविधा को मध्य नजर रखते हुए उनके बंट की भूमि अलग बंटवाड़े में प्रदान की गई। वादग्रस्त भूमि पक्षकारान के पुराने कब्जे को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित बंटवाड़ा वादी के 500 रु. खर्चे पर तहसीलदार भोपालगढ़ को बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा व लगान कायमी के अधीनस्थ न्यायालय में पेश करने हेतु आदेशित किया गया व तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.05.2007 के विरुद्ध वादीगण की ओर से राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के समक्ष अपील पेश की गई जिस पर भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर–जैसलमेर मु. जोधपुर ने अपीलांट/वादीगण की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.05.2007 को निरस्त करते हुए प्रकरण को पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया गया कि प्रकरण में पुनः दोनों पक्षों की सुनवाई की जाकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम

2019
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

1955 के नियम 18 से 21 में दिए गए प्रावधानों की अक्षरशः पालना करते हुए प्रारंभिक निर्णय व डिक्री पारित करें।

भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर–जैसलमेर मु. जोधपुर के उक्त निर्णय की पालना में अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली पर दिनांक 26.08.2011 पुनः दर्ज की जाकर सुनवाई की गई। प्रकरण में पत्रावली पर बहस हेतु नियत की गई। परंतु काफी अवसर दिए जाने के बाद बहस नहीं होने पर दिनांक 26.08.2018 को प्रकरण में समझाईस के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित किया गया है। जिसकी अपील अपीलांट्स ने की है। अपीलांट्स का मुख्य आधार यह है कि दिनांक 26.06.2018 को बिना अपीलांट्स या उनके अधिवक्ता को सूचित किए पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैंप भोपालगढ़ में रखी जाकर दिनांक 26.06.2018 को वादीगण का दावा डिक्री कर दिया तथा पत्रावली को फैसल शुमार कर दिया। विद्वान सहायक कलेक्टर द्वारा सन् 2011 से नियममित सुनवाई में चल रहे विवादित प्रकरण को बिना पक्षकारों को नोटिस दिए राजस्व लोक अदालत कैंप में रखकर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय करने में विधिक त्रुटि की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण की अपील में दिए गए निर्देशों की पालना किए बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे व जबाब दावे के आधार पर चार तनकीयात कायम की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में उन तनकीयात का उल्लेख तक नहीं दिया गया है तथा न ही पक्षकारों की साक्ष्य उल्लेख किया है। उपरोक्तानुसार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किए जाने योग्य बताया एवं अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.06.2018 को निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अपील न्यायालय के अपील सं. 1/09 में पारित निर्णय दिनांक 27.06.2011 में दिए गए निर्देशों के अनुसार पक्षकारों को सुनवाई का असवर देकर प्रकरण का निस्तारण करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने का निवदेन किया गया। रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने इस बिंदु पर विस्तृत रूप से बहस करते हुए कथन किया था कि प्रकरण में रेस्पों. को रिमाण्ड करने पर कोई आपत्ति नहीं हैं। प्रकरण को रिमाण्ड करते हुए पूर्व में अपील न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना के लिए प्राथमिक डिक्री जारी करने एवं बंटवारा करने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किया जाने में उनकी ओर से काई आपत्ति नहीं हैं।

6 रेस्पो. सं. 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण बंटवारा का है। प्राथमिक डिक्री के स्तर पर राजकीय हित निहित नहीं हैं। अतः उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हैं वह इस प्रकार है :–

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर पूर्व बंटवारा आदेश व डिक्री आदेश दिनांक 10.07.2006 तथा तत्पश्चात निर्णय दिनांक 21.05.2007 का अवलोकन किया एवं माननीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर में दायर अपील/आर.टी.एक्ट/223/1/2009/जोधपुर के निर्णय दिनांक 27.06.2011 का बगौर अध्ययन व अवलोकन किया। अतः आज राजस्व लोक अदालत में पत्रावली का मैरिट व गुणावगुण के निस्तारण में वादीगण का वाद अंतर्गत धारा 53, 188 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार भोपालगढ़ को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम गोपालगढ़ के उपरोक्त बिंदु सं. 1 में वर्णित खसरों का हिस्सा माफिक खातेदारों में राजस्व रिकार्ड के वर्तमान विधिक सह खातेदारों के मध्य विधिक हक हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा प्रस्ताव उभय पक्षकारान को विधिक रूप से सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में मौके पर तैयार कर प्रेषित करें। उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय तहसीलदार भोपालगढ़ राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 की धारा 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करें। उकत कार्य हेतु वादीगण मौका कमिश्नर तहसीलदार भोपालगढ़ को मौके पर नियमानुसार कमिश्नर फीस रु. 500/– अदा करें। हस्तगत प्रकरण में वादीगण के बंटवाड़ा पश्चात आई भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अंतिम डिक्री के समय जारी किया जाना अपेक्षित है। इसी माफिक प्राथमिक डिक्री जारी हो।

उक्त निर्णय व प्राथमिक डिक्री के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में सुनवाई का पूर्ण अवसर नहीं दिया गया है। प्रकरण सहमति के बिना राजस्व लोक अदालत में ले जाकर मैरिट पर अपीलांट की अनुपस्थिति में निर्णित किया गया है। साथ ही न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर में अपील के निर्णय दिनांक 27.06.2011 की पूर्ण पालना करते हुए प्रकरण में निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी नहीं की गई है।

यह बंटवारे का प्रकरण हैं जिसमें निर्णय व डिक्री पारित करने के लिए केवल बहस नहीं सुनी गई है। तथा दूसरा तथ्य यह है कि निर्णय व डिक्री को तनकी वाईज विवेचन करते हुए पारित नहीं किया है।

अतः इस प्रकरण केवल बहस सुनी जाकर पुनः निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित किया जाना है। उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस को इस न्यायालय में सुना जा चुका है तथा अन्य रिकार्ड पत्रावली पर मौजूद है। बंटवारे का प्रकरण वर्ष 1999 से लंबित चल रहा है तथा पूर्व में प्रतिप्रेषित भी किया जा चुका था अतः पुनः प्रकरण को प्रतिप्रेषित किए जाने के बजाय प्रकरण का तनकी वाईज विवेचन किया जाकर इस न्यायालय के स्तर पर ही निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

9 इस प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

2019
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वाद पेश होने पर दावा दर्ज किया गया व प्रतिवादीगण को नोटिस जारी होने पर प्रतिवादीगण उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा इस प्रकरण में आदेश 39 नियम 7 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे स्वीकार कर भू–अभिलेख निरीक्षक को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया। दिनांक 30.08.2001 को मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल फाइल की गई। प्रतिवादीगण को जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया। प्रतिवादीगण की ओर से कोस्ट पर अवसर दिए गए व कई अंतिम अवसर दिए गए उसके बाद लगभग 4 वर्ष बाद जवाब दावा पेश किया। प्रकरण में उसके पश्चात चार तनकीयात कायम की गई। दिनांक 17.10.2005 से पत्रावली साक्ष्य वादी में चली। वादी की ओर साक्ष्य कराई जाकर दिनांक 13.12.2005 को साक्ष्य वादी बंद करने के बाद पत्रावली दिनांक 27.12.2005 से साक्ष्य प्रतिवादी में चली। प्रतिवादी की ओर से कई अवसर दिए जाने के बावजूद साक्ष्य पेश नहीं करने पर 100 रु. की कोस्ट पर अवसर दिया गया। उसके बावजूद साक्ष्य पेश नहीं करने पर पुनः 200 रु. की कोस्ट पर अवसर दिया गया। उसके बावजूद प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई साक्ष्य पेश नहीं करने व बार–बार अवसर दिए जाने के बाद व कोस्ट पर अवसर दिए जाने के बावजूद साक्ष्य पेश नहीं करने पर वादी के अधिवक्ता ने ऐतराज किया व दिनांक 08.06.2006 को प्रतिवादीगण की साक्ष्य बंद की गई। उसके बाद पत्रावली बहस में रखी गई व दिनांक 26.06.2006 को उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस अधीनस्थ न्यायालय ने सुनी व पत्रावली को वास्ते आदेश दिनांक 10.07.2006 को रखा। दिनांक 10.07.2006 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री किया गया। उसके पश्चात प्रकरण में दिनांक 11.08.2006 को वकील प्रतिवादी की ओर से आदेश 47 सी.पी.सी. व धारा 151 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसका जबाब वादी की ओर से पेश हुआ तथा प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षकारान की बहस सुनी जाकर दिनांक 21.05.2007 को स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि में विशिष्ट भू–भाग को उनके बंट में रखे जाने से संबंधित आदेश को अपास्त किया गया। तदनुसार वादग्रस्त भूमि में पक्षकारान को माप एवं सीमांकन के आधार पर उनके द्वारा किए गए सुधार कार्य एवं रास्ते की सुविधा को मध्य नजर रखते हुए उनके बंट की भूमि अलग बंटवाड़े में प्रदान की गई। वादग्रस्त भूमि पक्षकारान के पुराने कब्जे को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित बंटवाड़ा वादी के 500 रु. खर्चे पर तहसीलदार भोपालगढ़ को बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा व लगान कायमी के अधीनस्थ न्यायालय में पेश करने हेतु आदेशित किया गया व तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.05.2007 के विरुद्ध वादीगण की ओर से राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के समक्ष अपील पेश की गई जिस पर भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर–जैसलमेर मु. जोधपुर ने अपीलांट/वादीगण की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.05.2007 को निरस्त करते

2019
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हुए प्रकरण को पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया गया कि प्रकरण में पुनः दोनों पक्षों की सुनवाई की जाकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 में दिए गए प्रावधानों की अक्षरशः पालना करते हुए प्रारंभिक निर्णय व डिक्री पारित करें।

भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर–जैसलमेर मु. जोधपुर के उक्त निर्णय की पालना में अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली पर दिनांक 26.08.2011 पुनः दर्ज की जाकर सुनवाई की गई। प्रकरण में पत्रावली पर बहस हेतु नियत की गई। परंतु काफी अवसर दिए जाने के बाद बहस नहीं होने पर दिनांक 26.08.2018 को प्रकरण में समझाईस के आधार पर राजस्व लोकन अदालत कैंप में अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित किया गया है। जिसकी अपील अपीलांट्स ने की है। जैसा कि पूर्व में विवेचन किया जा चुका है कि प्रकरण में साक्ष्य व बहस हो चुकी थी प्रकरण रिमाण्ड के आधार पर पुनः निर्णित किया जाना था परंतु उसमें निर्णय में उभयपक्षकारान की बहस सुने बिना कैंप कोर्ट में पारित कर दिया व निर्णय तनकीवाईज नहीं विवेचन करते हुए नहीं दिया गया है। चूंकि इस प्रकरण में दिनांक 10.07.2006 व 21.05.2007 को पारित निर्णय प्रतिवादी गण द्वारा जबाब पेश करने व तनकीयात कायम करने के बाद उभयपक्षकारान को साक्ष्य का पूर्ण अवसर देने के बाद उभयपक्षकारान को की बहस सुनकर पारित किये गए थे। अतः प्रकरण में जबाब, तनकीयात व साक्ष्य की पुनः आवश्यकता नहीं हैं। हालांकि बहस भी सुनी जा चुकी थी परंतु अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से पूर्व बहस नहीं सुनी गई लेकिन अपील में उभयपक्षकारान उपस्थित हुए हैं और उनकी बहस सुनी जा चुकी है अतः प्रकरण में अब कोई साक्ष्य आदि नहीं होने हैं तथा बहस भी पूर्व में दो बार हो चुकी थी केवल रिमाण्ड के बाद नहीं हुई जो अपील के समय की जा चुकी है। अतः प्रकरण में वादी व प्रतिवादी की ओर से उपलब्ध दस्तावेज, बयानों एवं बहस के आधार पर केवल तनकीवाईज पूर्ण विवेचना के साथ विधि के प्रावधानों के अनुसार निर्णय पारित किया जाना है।

जब पत्रावली में सभी वांछित दस्तावेज साक्ष्य आदि उपलब्ध है तो ऐसी स्थिति में केवल निर्णय व डिक्री पारित करने के लिए प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना न्यायहित में नहीं होगा बल्कि प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेज, साक्ष्य व बहस के आधार पर निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित होगा। इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चार तनकीयात कायम की गई थी। जिनका विवेचन निम्नानुसार है :–

तनकी सं. 1 : आया ग्राम भोपालगढ़ की सरहद में कृषि भूमि खसरा नं. 1428 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा वादीगण व प्रतिवादीगण के सामलाती खातेदारी भूमि स्थिति है। ..... जिम्मे वादीगण।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर रखा गया था। वादीगण की ओर से अपने वादपत्र के साथ प्रस्तुत जमाबंदी से स्पष्ट है कि मौजा भोपालगढ़ का खसरा नं. 1428 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा वादीगण व

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

प्रतिवादीगण के शामलाती खातेदारी की भूमि है। अतः यह तनकी वादीगण सिद्ध करने में सफल रहे हैं तदनुसार तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 2 : आया वादीगण खसरा नं. 1428 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा का बंटवाड़ा माप व सीमांकन के करवाने का अधिकारी है। ..... जिम्मे वादीगण। इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर ही रखा गया था वादीगण ने अपने साक्ष्यों द्वारा यह साबित करने का प्रयास किया कि वादग्रस्त भूमि का मौके पर बंटवाड़ा नहीं होकर शामलाती कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियुक्त मौका कमिश्नर द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसमें बताया कि उक्त खसरा वादी व प्रतिवादीगण का कब्जा शुद मौका पर पड़ा हुआ है वर्तमान में उक्त खसरा नं. में काश्त की हुई नहीं हैं। तथा गत दो वर्षों से बिना काश्त किए खाली पड़ा होना बताया है। ऐसी स्थिति में संयुक्त खातेदारी की भूमि सहखातेदार की हैसियत से कब्जा माना जाता है। वादग्रस्त भूमि के वादीगण सह खातेदार काश्तकार हैं। वादीगण अपने हिस्से की भूमि का नाप व सीमांकन के अनुसार बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी हैं। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 3 : आया वादीगण अपने बंट व हक हिस्से की भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। ..... जिम्मेवादीगण।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के अनुसार सहखातेदार काश्तकार है तथा वादीगण अपने बंट व हक हिस्से की भूमि के लिए स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वादीगण मूल खातेदार हैं तथा प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा खरीद किया है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 4 : आया प्रतिवादीगण वादग्रस्त खसरा पर पक्षकारान के कब्जे अनुसार बंटवाड़ा करवाने हेतु तैयार है। ..... जिम्मे प्रतिवादीगण

इस तनकी को सिद्ध करने का जिम्मा प्रतिवादीगण पर रखा गया था। प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा में भी यह व्यक्त किया था कि पतिवादीगण कब्जे अनुसार बंटवाड़ा करने के लिए तैयार हैं। न्यायालय द्वारा नियुक्त कमिश्नर ने अपनी कमिश्नर रिपोर्ट में बताया कि मौके पर बंटवाड़ा किया हुआ नहीं हैं। उक्त वादग्रस्त पूरा खसरा नंबर में काश्त की हुई नहीं हैं तथा गत दो वर्षों से बिना काश्त किए खाली पड़ा हुआ बताया है। इस प्रकार प्रतिवादीगण ने अपने कब्जे को साक्ष्य द्वारा अथवा किसी अन्य दस्तावेज द्वारा साबित करने में असफल रहे हैं। वादीगण मूल खातेदार हैं तथा प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि में से 1/2 हिस्सा खरीद किया है। प्रतिवादीगण द्वारा कोई भूखण्ड विशेष खरीद किया हो ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। प्रतिवादीगण अपना व वादीगण का कब्जा किस तरफ है को सिद्ध करने में असफल रहे हैं ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर सहखातेदार की हैसियत से प्रतिवादीगण व वादीगण का संयुक्त कब्जा माना जाता है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण द्वारा सिद्ध नहीं करने

4/9/2019
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

से प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

वादीगण का वाद बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का है। तनकीयात के उपरोक्त विवेचन से वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है एवं तदनुसार वाद इस न्यायालय स्तर से प्राथमिक डिक्री किया जाना उचित पाया जाता है।

10 अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2018 निरस्त किया जाता है। तनकीयात के इस न्यायालय स्तर पर किए गए विवेचन के अनुसार तनकी सं. 1, 2, 3 पूर्णतया वादीगण के पक्ष में निर्णित हो चुकी हैं तथा तनकी सं. 4 प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित हो चुकी है। अतः वाद वादीगण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम भोपालगढ़ तहसील भोपालगढ़ के खेत खसरा नं. 1428 कुल रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा भूमि में से 1/2 हिस्सा वादीगण का व 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 तक का रखा जाता है। तहसीलदार भोपालगढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौके पर स्वयं उपस्थित होकर बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 20 व 21 की अक्षरशः पालना करते हुए तैयार करें। बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ के समक्ष अधिकतम एक माह की अवधि में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगें। मौका कमिश्नर को 1000 रु. (एक हजार रुपए मात्र) कमिश्नर फीस वादीगण द्वारा अदा की जावेगी। प्रकरण में अंतिम डिक्री के आदेश होने तक दोनों पक्षकारान मौके की यथास्थिति बनाए रखेंगें। तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो।

20/9/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 20.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/9/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर